

FPI/U/P/ROAD/47893/2020

भाग-IV

खण्डनालय (२)

(२)

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग  
द्वारा भरे जाने के लिये)

17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा

के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और  
निर्दिष्ट सिफारिशें।

CF..... की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन  
संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरक्षित समीक्षा की  
जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

304

30/9/2020

दिनांक—

स्थान—

हस्ताक्षर  
Pankaj Misra  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act, 1980  
ताम्र  
U.P. Lucknow

सरकारी मोहर